89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 583–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–12–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 01/2012–13 एवं 03/2011–12 पुर्नविलोकन.

रामेश्वर दयाल पुत्र श्री तेज सिंह जाति गौंड़
निवासी अम्बाह रोड बड़ोखर,
तहसील व जिला मुरैना म0प्र0 ---- आवेदक

विरुद्ध

1– लीलावती पत्नी रामविलास जाति ब्राहम्ण
निवासी अम्बाह रोड पुल तिराहा
मुरैना जिला मुरैना म0प्र0 ---- असल अनावेदक

2– गर सिंह पुत्र श्री चौखरिया
3– नबाव सिंह पुत्र चौखरिया
4– मनोज पुत्र चौखरिया
5– रामसनेही पुत्र चौखरिया
6– मृतक शिवचरण वारिसान –
  अ– बनवारी गौंड
  ब– राधेश्याम गौंड
  स– नरेश गौड
  द– कमला बाई
  ई– गिरजा देवी
7– मीराबाई पुत्री चौखरिया
8– किशनलाल पुत्र विद्याराम
9– रामप्रकाश पुत्र विद्याराम
10– फूलवती पुत्री विद्याराम
निवासीगण अम्बाह रोड़, बडोखर
तहसील व जिला मुरैना ---- तरतीवी अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर ।

आदेश

(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 01/2012–13 पुनरावलोकन एवं 03/2011–12 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 13.12.12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 428 रकबा 0.439 के अंशभाग पर स्थित प्लॉट पर मुताबिक वसीयतनामा के नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन अनावेदक कमांक 1 लीलावती एवं अनावेदक गरसिंह, नवावसिंह पुत्रगण चोखरिया के विरूद्ध पेश किया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–6–05 द्वारा सर्वे नंबर 428 के अंश रकबा 1/3 पर (0.38 हैक्टर) मृतक अभिलिखित भूमिस्वामी लोकमन के स्थान पर वसीयतनामे के आधार पर आवेदक का तथा मृतक तेजसिंह के हिस्से पर तेजसिंह के स्थान पर आवेदक एवं उसकी बहिन का नामांतरण एवं 1/3 हिस्से पर गरसिंह नवावसिंह आदि का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 12–9–05 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । प्रत्यावर्तन के उपरांत नायब तहसीलदार ने वसीयत को शंकास्पद मानते हुए वारिसान आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 7–7–08 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका लीलाबाई ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 16–9–11 द्वारा खारिज की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध लीलाबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी कमांक 13/2011–12/निगरानी पेश की गई । इस निगरानी में अपर आयुक्त ने दिनांक 19–7–12 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय

अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किए जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 28–6–05 स्थिर रखे जाने का आदेश दिया गया, जबकि प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–3–06 के विरूद्ध अपील/निगरानी पेश हुई थी । इस त्रुटि को सुधारने के लिए अनावेदिका लीलाबाई द्वारा पुनरावलोकन आवेदन पेश किया गया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28–6–05 के स्थान पर 24–3–06 स्थापित किए जाने के आदेश दिये हैं । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है । मूल निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 19–7–12 द्वारा अपर आयुक्त ने अनावेदिका की निगरानी खारिज की थी । उक्त आदेश विधिवत आदेश है । प्रकरण में पुनरावलोकन का कोई आधार नहीं है । अपर आयुक्त ने मूल निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 19–7–12 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 28–6–05 जिसके द्वारा विवादित भूमि में आवेदक एवं उसकी बहन का 1/3 भाग वारिसान आधार पर, आवेदक का 1/3 भाग लोकमन के हिस्से का वसीयत के आधार पर तथा शेष 1/3 भाग भीमलाल के हिस्से पर उसके वारिसान का विधिवत नामांतरण किया गया था को स्थिर रखा गया था । अपर आयुक्त द्वारा पुनरावलोकन में यह कहना कि न्यायालय का आशय विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–3–06 को स्थिर रखने से है, नितांत अवैध और अनुचित है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी अतः उसे रिव्यू पेश करने का अधिकार नहीं था ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक अधिवक्ता के तर्क अभिलेख पर आधारित नहीं है अपर आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 13/2011–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–7–12 द्वारा अनावेदिका की निगरानी को खारिज नहीं किया गया है बल्कि विचारण न्यायालय द्वारा 24–3–06 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित आदेश दिनांक 7–7–2008 तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका लीलाबाई द्वारा

अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–9–11 को निरस्त किया गया है तथा अनावेदिका की निगरानी स्वीकार की गई है, इस आदेश का स्पष्ट आशय विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–3–06 स्थिर रखने से है । त्रुटिवश उक्त आदेश में विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 28–6–05 टंकित हो जाने से अनावेदिका द्वारा पुनरावलोकन आवेदन पेश किया गया जिसे स्वीकार कर उक्त त्रुटि सुधारने के आदेश देने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने मूल प्रकरण कमांक 13/2011–12/निगरानी में दिनांक 19–7–12 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 07–07–08 एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–9–11 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया है । परंतु त्रुटिवश आदेश में विचारण न्यायालय के आदेश का दिनांक 24–3–06 के स्थान पर दिनांक 28–6–05 टंकित हो गया है अतः अनावेदिका द्वारा अपर आायुक्त के समक्ष पुनरावलोकन पेश किये जाने पर पुनरावलोकन में अपर आयुक्त द्वारा आदेश में टंकित विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 28–6–05 संशोधित करते हुए दिनांक 24–3–06 स्थापित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19–7–12 द्वारा अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया गया था, क्योंकि अपर आयुक्त के उक्त आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदिका कमांक 1 की निगरानी स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेशों को निरस्त किया गया है तथा विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया है । उनके आदेश का स्पष्ट आशय विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–3–06 से है क्योंकि इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण निगरानी में आया था । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 306 (उच्च न्यायालय) के प्रकाश में उनका यह निष्कर्ष

उचित है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु 1982 में हो चुकी थी और आवेदक द्वारा नामांतरण के लिए आवेदन वसीयत के आधार पर 24 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसे निरस्त करने में तथा वारिसान के आधार पर नामांतरण के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर